न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 117/2013 जीसीएमएस नम्बर 2013/00137

1. मोहरसिंह पुत्र दयानन्द जाति जाट निवासी मोई सद्दा तह. बुहाना
2. सुरजा पुत्र सुण्डाराम (फौत)
   2/1. शेर सिंह पुत्र सुरजा
   2/2. महेन्द्र सिंह पुत्र सुरजा
   2/3. विजेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुरजा
   2/4. संतोष देवी पुत्री सुरजा
   2/5. मुन्नी पुत्री सुरजा
   2/6. प्रमीला पुत्री सुरजा
3. नानड़ पुत्र सुण्डाराम (फौत)
   3/1. माली पत्नि नानड़राम
   3/2. विधा पुत्री नानड़राम
   3/3. धनसिंह पुत्र नानड़राम
   3/4. शीशराम पुत्र नानड़राम
   3/5. रामसिंह पुत्र नानड़राम

} जातिगण जाट निवासी मोई सद्दा तह. बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

..........वादीगण

– ब ना म –

1. नौरंग पुत्र भीखाराम जाति जाट निवासी मोई सद्दा तह. बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.) (फौत)
   1/1. कर्णसिंह } पुत्रान नौरंग जाति जाट निवासी मोई सद्दा
   1/2. श्रीभगवान } तह. बुहाना जिला झुन्झुनू राज.
   1/3. शिलाकौर पुत्री नौरंग पत्नि कुरड़ाराम जाति जाट निवासी मोई सद्दा हाल आबाद डूंगली तह. नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरि.
   1/4. चन्दो पुत्री नौरंग पत्नि सरदारा राम जाति जाट निवासी मोई सद्दा हाल आबाद डूंगली तह. नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरि.
   1/5. संतोष पुत्री नौरंग पत्नि लखमीचन्द जाति जाट निवासी मोई सद्दा हाल आबाद डूंगली तह. नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरि.
   1/6. शर्मिला पुत्री समेत नवीरा नौरंग पत्नि दिलबाग
   1/7. दिलबाग पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी लाम्बी जाट तह. बुहाना जिला झुन्झुनू राज.
   1/8. अश्वनी पुत्री विनोद व धर्मपाल नवीरा नौरंग ... बुहाना जिला झुन्झुनू
   1/9. विवेक पुत्र विनोद व धर्मपाल ... निवासी ला... जाट तह. बुहाना जिला झुन्झुनू
   1/10. धर्मपाल पुत्र दिलबाग जाति ... तह. बुहाना जिला झुन्झुनू राज.
2. मानसिंह पुत्र दयानन्द जाति जाट निवासी मोई सद्...

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:25:16 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

तहसीलदार भू- अभिलेख बुहाना जिला झुन्झुनू राज.
4. उप-पंजियक महोदय बुहाना जिला झुन्झुनू राज.

<u>दावा – घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ति, स्थाई निषेधाज्ञा।</u>

उपस्थिति –

1. श्री राजेश कुमार यादव , अधिवक्ता – वादीगण की ओर से ।
2. श्री राधेश्याम भारद्धवाज एड. प्रति. सं. 1/1 से 1/10 की ओर से
3. शेष प्रतिवादीगण के विरूद एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

–:निर्णयः–

दिनांकः– 10/10/22

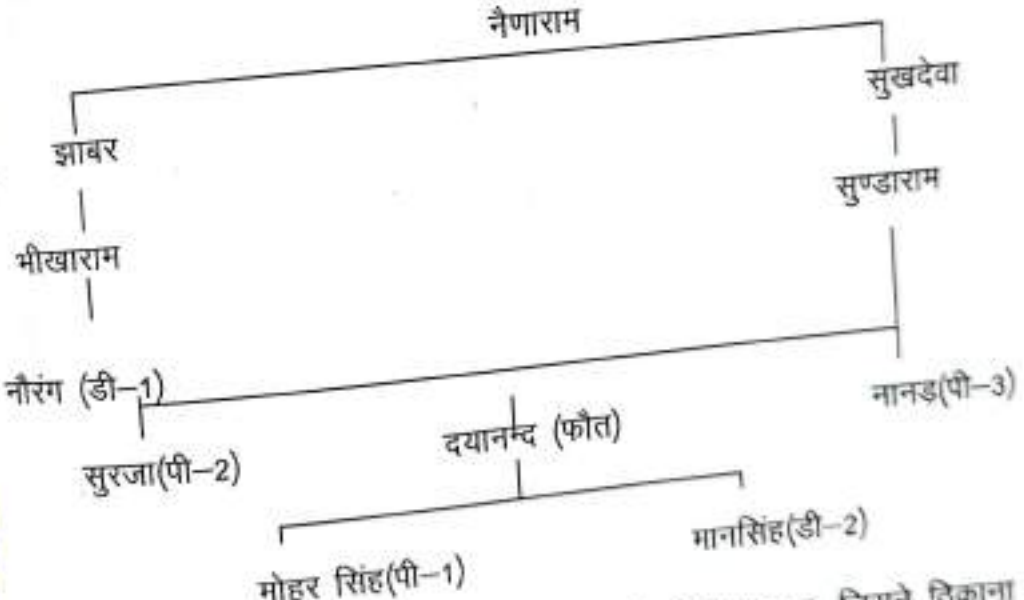

वादीगण की ओर से हस्तगत वाद पत्र – घोषणात्मक इन संक्षिप्ततः अभिवचनो के साथ प्रस्तुत किया गया हैं कि :–

1. यह कि   यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण गांव मोई सद्दा के निवासी हैं, जो एक ही पूर्वज की संतान हैं। वादीगण की वंशावली इस प्रकार है–

2. यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या [illegible] का पूर्वज नैणाराम था, जिसने ठिकाना खेतड़ी के समय तहसील सिंघाना के गांव मोई सद्दा स्थित [illegible] 110 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा, गत खसरा नम्बर 111 रकबा [illegible] खसरा नम्बर 180 रकबा 9 बीघा, गत ख.नं. 193 रकबा 19 बिस्वा [illegible] 4 रकबा [illegible] बिस्वा उस समय के ठिकानेदारों/पट्टीदारों से उक्त भूमि [illegible] पर ही थी जो अपने जीवन पर्यन्त इस भूमि पर काबिज रहा। नैणाराम का बड़ा [illegible] झाबर था तथा छोटा लड़का सुखदेव था। नैणाराम जिसकी मृत्यु ठिकाना के समय हुए बन्दोबस्त के समय हो चुकी थी व झाबर व सुखदेवा की भी मृत्यु हो चुकी थी। भीखाराम व सुण्डा इस भूमि को काश्त करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:25:16 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

थे। दोनों भाई शामिल में संयुक्त परिवार के सदस्य थे। सुखदेवा का पुत्र सुण्डाराम था,
झाबर का लड़का प्रतिवादी संख्या 1 का पिता भीखाराम (भीखला) था। भीखाराम उक्त
सुण्डाराम से बड़ा था, लेकिन वे भी संयुक्त परिवार के संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य थे।
सुण्डाराम खेती का काम करता था। भीखाराम बड़ा होने से वह कर्ता खानदान था।
सुण्डाराम अपने भाई भीखाराम के साथ अपनी भूमि पर काबिज था।

3. यह कि सुखदेवा व झाबर की मृत्यु के बाद भीखाराम एवं सुण्डाराम संयुक्त रूप से विवादित
भूमि पर काबिज रहे, लेकिन संवत 1999 से जब ठिकाना खेतड़ी का बन्दोबस्त हुआ तो
विवादित भूमि की खातेदारी अकेले भीखाराम के नाम दर्ज हो गई, जबकि उसका चचेरा भाई
सुण्डाराम भी उसके साथ ही इस भूमि का काबिज काश्तकार था। भीखाराम की मृत्यु करीब
सन् 1990 में हुई है तथा सुण्डाराम की मृत्यु सन् 1993–94 में हुई है। सुण्डाराम अपने
जीवन पर्यन्त अपनी भूमि पर काबिज रहा तथा उसकी मृत्यु के बाद दयानन्द वादी संख्या 1
व प्रतिवादी संख्या 2 का हकपूर्वाधिकारी एवं वादी संख्या 2 व 3 स्वयं काबिज रहे। वादी
संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 के पिता की मृत्यु के बाद वादी संख्या 1 व 2 काबिज हैं।
इस प्रकार वादीगण विवादित भूमि के खातेदार हैं।

4. यह कि वादीगण की विवादित भूमि पैतृक भूमि है। भीखाराम के नाम इस भूमि की खोतदारी
संवत 1999 में अकेले के नाम परिवार का मुखिया होने से दर्ज हुई है, क्योंकि सुण्डाराम
छोटा था व उसके पिता सुखदेवा की मृत्यु हो गई थी। वादीगण का विवादित भूमि में 1/2
भाग पर कब्जा काश्त है, जिसमें उन्होंने पुख्ता मकान बना रखे हैं। बिजली टेलिफोन के
कनेक्शन आदि ले रखे हैं एवं काबिज व आबाद हैं। 1/2 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 1
काबिज है। इस प्रकार विवादित भूमि की खातेदारी में केवल भीखाराम का नाम परिवार का
कर्ता खानदान होने से अकेले का नाम दर्ज हुआ है, जबकि विवादित भूमि संयुक्त हिन्दू
परिवार की भूमि है। लगान संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से भुगतान किया जाता रहा है।

5. यह कि वाद वर्णित भूमि गत ख.नं. 110, 111, 180, 193 किता 4 रकबा 43 बीघा 13 बिस्वा
वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक
भूमि है, जिसके लगान का करार एवं उसके बाद लगान का भुगतान संयुक्त परिवार की
आय से होता रहा है। वाद वर्णित भूमि की काश्त भीखाराम के साथ सुण्डाराम की थी जो
खसरा गिरदावरी में भी अंकित है। भीखाराम व सुण्डाराम दोनों ही अपने पिताओं की
इकलौती संतान थी जो संयुक्त परिवार के सदस्य थे, जिनकी गांव मोई सद्दा में विवादित
भूमि ही है, जिसमें दोनों ने काफी सुधार कार्य किए हैं। हाल ख.नं. 142 जो गत ख.नं. 180
से बने हैं, इसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 1 का पिता भीखाराम एवं
वादीगण का हकपूर्वाधिकारी सुण्डाराम जीवित थे तो सन् 1970 के लगभग एक कूप बनाया
है, लेकिन उस समय विधुतीकरण नहीं था, इसलिए उक्त कूप से केवल रस्सीयों से पानी
निकालते थे, ऊंट बैलों से पानी निकालते थे। बाद में संयुक्त परिवार का विघटन हो गया व
करीब 10 वर्ष पहले प्रतिवादी संख्या 1 ने हाल [illegible] से कूप बना लिया एवं
विधुत संयोजन भी ले लिया है। वा[illegible] 2 व प्रतिवादी संख्या 1 के
हकपूर्वाधिकारी ने इस भूमि में से 3 [illegible] स्कूल [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:25:16 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

यह कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 1 व इनके हकपूर्वाधिकारियों के संयुक्त हिन्दू परिवार का 35–40 वर्ष पूर्व विघटन हुआ तो भूमि हाल ख.नं. 142 के उत्तरी तरफ का 1/2 भाग वादीगण एवं दक्षिणी 1/2 भाग प्रतिवादी संख्या 1 व खसरा नम्बर 172, 173, 174 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 एवं खसरा नम्बर 175 प्रतिवादी संख्या 1 अपनी सुविधानुसार काश्त करने लगे तथा हाल ख.नं. 278 में पश्चिमी–दक्षिणी भाग में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 काश्त करने लगे, क्योंकि इस भाग में उनके पुख्ता मकान बने हुए थे तथा शेष 1/2 भाग प्रतिवादी संख्या 1 व उसका पिता काश्त करने लगे वर्तमान में काश्त की सुविधा की दृष्टि से पक्षकारान इसी अनुसार काबिज हैं एंव आबाद हैं।

7. यह कि भूमि गत खसरा नम्बर 193 का पश्चिमी भाग वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 काश्त करते हैं, जिसके उत्तर में जोहड़ की भूमि है। वादीगण ने ट्रक्टर वालों से अपनी भूमि काश्त की तो कुछ भाग जोहड़ का भी उसके अतिक्रमण में आ गया, जिसका उन्हें पटवारी हल्का ने अतिक्रमण का नोटिस भी दिया एवं शास्ति कायम की थी, जिसकी रसीद भी वादीगण के पास है।

8. यह कि भूमि गत ख.नं. 180 के वर्तमान बन्दोबस्त ने हाल ख.नं. 142 बनाए हैं। चूंकि इससे गत खसरा नम्बर 181 का भी भाग मिलाना बताया है, लेकिन वास्तव में मिला नहीं है, क्योंकि गत खसरा नम्बर 180 का रकबा 9 बीघा था, हाल रकबा 2.28 हैक्टेयर बना है। जो उतना ही बनता है। गत खसरा नम्बर 193 के हाल खसरा नम्बर 172, 173, 174 व 175 बनाये गये है तथा गत खसरा नम्बर 110 व 111 के हाल खसरा नम्बर 278 निर्मित किए हैं, जिनमें कुछ भाग गत खसरा नम्बर 213 का भी मिलना बताया है। हालांकि दूसरी भूमि का कोई रकबा इसमें शामिल नहीं है।

9. यह कि वाद वर्णित भूमि हाल खसरा नम्बर 142, 172, 173, 174, 175 एवं 278 किता 6 रकबा 10.84 हैक्टेयर के वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/6, वादी संख्या 2 का 1/6, वादी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा है। शेष हिस्सा 1/2 प्रतिवादी संख्या 1 का है, लेकिन इस भूमि का खातेदार गलत रूप से पहले अकेले भीखाराम प्रतिवादी संख्या 1 के हकपूर्वाधिकारी के नाम दर्ज हुई, उसकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 व उसकी माता की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। जबकि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 अपने 1/2 हिस्सा पर काबिज एवं आबाद हैं। अपनी भूमि को बिना किसी बाधा के निरन्तर सभी की जानकारी में बतौर खातेदार काश्त करते आ रहे हैं।

10. यह कि विवादित भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा है, जिस पर वे काबिज हैं, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 के मन में बेईमानी आ गई जिस पर गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में उक्त प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण को उनके हक हिस्से से वंचित करने के लिए समस्त भूमि को अपनी बताने लगा है, तो अब [illegible] धमकी देने लगा है कि वह विवादित भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के 1[illegible] खुर्द–बुर्द एवं रहन बेचान गिरवी करेगा। इस भूमि पर ऋण लेकर [illegible] करेगा, जिससे भी वादीगण के हक समाप्त हो जाए तथा गांव में [illegible] ग्राहक भी ढूंढने लगा है, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादी संख्या 1 को कोई हक व अधिकार नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:25:16 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

यह कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के हकपूर्वाधिकारी अशिक्षित व सीधे–साधे व्यक्ति थे। मौके पर उनका कब्जा था। राजस्व रिकॉर्ड की उन्हें जानकारी नहीं थी। कब्जे का भी कभी विवाद नहीं हुआ। अब प्रतिवादी संख्या 1 ने विवादित भूमि को अकेले अपनी बताना शुरू कर इसे खुर्द–बुर्द करने की धमकी देना शुरू किया है, जिससे वादीगण को अपने अधिकारों की घोषणा व सुरक्षा हेतु यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

यह कि वाद वर्णित भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा है, लेकिन यदि गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में प्रतिवादी संख्या 1 इसे खुर्द–बुर्द, रहन, बेचान या गिरवी कर अथवा अन्यत्र हस्तानांतरित कर देता है तो वादीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसका मुद्रा में मुल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

यह कि दावा के लिए आधार विवाद वाद वर्णित भूमिं सयुक्त हिन्दु परिवार द्वारा ठिकानेदारो/ पटीदारो से लगान के करार पर लेकर लगान का भुगतान संयुक्त परिवार की आय से करने व गलत रूप से बन्दोबस्त सवंत् 1999 कर्ताखानदान भीखाराम के नाम समस्त भूमि की खातेदारी दर्ज होने व इसमे वादीगण व प्रतिवादी स. 2 का पीढी दर पीढी संयुक्त परिवार की भूमि में 1/2 हिस्सा होने व अब प्रतिवादी स. 1 द्वारा वादीगण के अधिकारो को इन्कार करने वादीगण का लगातार बिना किसी बाधा के सभी की जानकारी मे 1/2 भाग पर मकान बनाकर कब्जा होने व आबाद होने एवं अब प्रतिवादी स.1 द्वारा इसके गलत रिकॉर्ड की आड मे अपनी बताकर खुर्द बुर्द करने की धमकी देने व रहन , बेचान हेतु ग्राहक तलाश करने की कोशिश करने से पैदा हुआ हैं। अतः दावा अन्दर मियाद हैं वैसे भी इस प्रकार के दावा के लिए कानून मे कोई मियाद निर्धारित नही हैं।

14. यह कि विवादित भूमि ग्राम मोई सद्दा तह. बुहाना में स्थित कृषि भूमि हैं जिसके सम्बंध में यह दावा सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त हैं।

15. यह कि दावा घोषणात्मक के लिए 1/–रू. , स्थाई निषेधाज्ञा के लिए 1/–रू. तथा रिकॉर्ड दुरूस्ति के लिए 1/–रू. कोर्ट फीस नियत हैं अतः दावा कुल 3/–रू. कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमानजी की सेवामे पेश हैं।

16. यह कि प्रतिवादी स 4 लोक सेवक हैं उसके विरूद दावा दायरी से दो माह पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक हैं लेकिन नोटिस देकर दावा पेश किया जाता है तो वादीगण के दावा का उदेश्य ही समाप्त हो जायेगा क्योकि प्रतिवादी स. 1 अपने नाम से दर्ज सम्पूर्ण भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा हैं यदि नोटिस देकर दावा किया जाता हैं तो उससे पहले ही प्रतिवादी स. 1 इस भूमि को खुर्द बुर्द कर देगा इसलिए बिना नोटिस दिये न्यायालय श्रीमानजी की अनुमति लेकर दावा पेश किया जा रहा हैं।

यह कि वादीगण विवादित भूमि का अपडेटेड रिकॉर्ड पेश किया हैं इसके बाद इसको रहन , बेचान , गिरवी नही किया हैं दावा के समर्थन मे शपथ पत्र साथ मे पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन हैं कि :–

(क). कि वाके ग्राम मोई सद्दा पुरानी स्थित भूमि ख.न. 142, 172, 173, 174, 175, 278 किता 6 रकबा 10.84 हैक्टर मे से 10.80 हैक्टर रकबा मे वादी स. 1 व प्रतिवादी स. 2 का 1/6 , वादी स. 2 का 1/6 वादी स. 3 का 1/6 हिस्सा घोषित कर प्रतिवादी स. 1 के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज कर तथा 0.04 हैक्टर रकबा [illegible] के नाम दर्ज कर इसी अनुसार रिकॉर्ड मे अमल कर रिकॉर्ड दुरूस्ति का [illegible] किया करे।

(ख). कि प्रतिवादी स. 1 को जरिए [illegible] निषेधाज्ञा पा[illegible] जावे कि ग्राम मोई सद्दा पुरानी स्थित भूमि ख.न. 142 रकबा 2.28 [illegible] रकबा 0.90 हैक्टर ख.न. 173 रकबा 0.

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:25:16 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

70 हैक्टर ख.न. 174 रकबा 0.69 हैक्टर ख.न. 175 रकबा 2.52 हैक्टर ख.न 278 रकबा 3.75 हैक्टर 1/2 भाग से अधिक भूमि को रहन , बेचान ,गिरवी या अन्यत्र हस्तानान्तरण नही करे तथा प्रतिवादी स. 4 को भी जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि उक्त विवादित भूमि के सम्बध में प्रतिवादी स. 1 द्वारा प्रस्तुत किसी भी विकय , रहन , गिरवी , या हस्तानान्तरण विलेख को पंजिकृत नही करे ऐसा कृत्य ना स्वयं करे ना ही अपने मातहत अधिकारी या किसी अन्य कर्मचारी से करवाये।

4. कि दावा वादीगण विरूद प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर अन्य कोई अनुतोष जो सहवन से अयाचित रह गया हो एवं वादीगण जिसके वाजिब हकदार हो वादीगण को दिलवाये जाने कि कृपा करें।

दावा दर्ज रजिस्ट्रर कर तलबी प्रतिवादीगण की जारी की गई जिसमें से नौरंग की मृत्यु के बाद उनके कायम मुकाम कर्णसिंह , श्रीभगवान सिंह , शिलाकोर , चन्द्रा , संतोष , अश्वनी कुमारी , विवेक की तरफ से जवाब दावा पेश किया कि

1. यह कि दावा का खण्ड न. 1 मे वादीगण प्रतिवादीगण का 5 पीढी पूर्व एक ही पूर्वज नेनाराम होना स्वीकार हैं। परन्तु वर्तमान में वादीगण व प्रतिवादी का मोई सद्दा मे रहना स्वीकार हैं।

2. यह कि दावा का खण्ड न. 2 गलत हैं स्वीकार नही हैं ग्राम मोई सद्दा स्थित भूमि गत ख. न. 110, 111, 180, 193 कुल किता 4 कुल रकबा 43 बीघा 13 बिस्वा भूमि नेनाराम ने कभी ठिकानेदारो से कास्त पर नही ली ना ही नेनाराम ने उपरोक्त भूमि को कभी कास्त किया सर्वप्रथम उपरोक्त भूमि ठिकाना से भीख वल्द झाबर ने ठिकाना खेतडी से सम्वत् 1998 में ली उससे पूर्व यह भूमि ठिकाना अपनी सुविधा से कास्त करवाता था और माल प्राप्त करता था क्योकि सम्वत् 1998 से पूर्व भूमि का माल देना कास्तकारो के लिए भारी पडता था इसलिए वे स्थाई रूप से भूमि को लीज पर नही लेते थें इसलिए सर्वप्रथम भू– प्रबन्धक (बन्दोबस्त) सम्वत् 1998 मे यह भूमि भीखा उर्फ भीखला पुत्र झाबर ने ठिकाना खेतडी से यह भूमि लगान पर ली थी एवं यह भूमि सम्वत् 1998 में भीखा पुत्र झाबर की खुद कास्त थी कोई दुसरा हिस्सेदार अथवा कास्तकार नही था। एवं सम्वत् 2012 मे भी उपरोक्त भूमि का खतोनीदार , कास्तकार भीखा पुत्र झाबर ही था इसलिए टिनेन्सी एक्ट 1955 के दिनांक 14.10.1955 को प्रभावी होने से भीखा पुत्र झाबर उपरोक्त भूमि का खातेदार कास्तकार बन गया। उपरोक्त भूमि से सुण्डा पुत्र सुखदेवाराम का कोई सम्बध नही था ना ही वह उपरोक्त भूमि मे सहखातेदार व सहकास्तकार था ना ही सुण्डाराम का उपरोक्त भूमि पर कब्जा कास्त था। अपितु सुण्डाराम सम्वत् [illegible] पैमाईश से पूर्व अमरपुरा चला गया था जहा पर मोई सद्दा के करीब 1/3 परिवार बस गये [illegible] भूमि का माल अदा किया उस समय कास्तकारो के [illegible] बड़ी समस्या थी इसलिए कास्तकार ठिकाना से भूमि स्थाई [illegible] था कि ठिकाना खेतडी ने ग्राम अमरपुरा ग्राम मोई सद्दा के [illegible] बसाया व ग्राम अमरपुरा की जमीन को कास्त करवाने के लिए ही बसाया था [illegible] अमरपुरा की भूमि ग्राम कुठानिया के लोग कास्त करते थें परन्तु उनसे माल अदायगी नही हुई इसलिए ठिकाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:25:16 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट गुढ़ा
जिला झुंझुनूं (राज.)

खेतड़ी ने मोई स्‌दा के कास्तकारो को वहा बसाया इसी वजह से सुण्डाराम पुत्र सुखदेवा के
नाम से मोई सद्दा के तन्‌ मे कोई खतोनी व खातेदारी की जमीन नही हैं।
यह कि दावा का खण्ड न. 3 मे वादग्रस्त भूमि भीखाराम व सुण्डाराम की संयुक्त खातेदारी
व हिस्सेदारी की होना गलत हैं स्वीकार नही क्योकि सुण्डाराम सम्वत्‌ 1998 से पूर्व ही
अमरपुरा चला गया था स खण्ड में भीखाराम की मृत्यु सन्‌ 1990 मे व सुण्डाराम की मृत्यु
सन्‌ 1993 – 94 मे होना स्वीकार हैं।
यह कि विवादित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की कभी भी पैतृक भूमि नही हुई यह भूमि
प्रारम्भ से ही भीखाराम की ठिकाना खेतड़ी से लीज पर ली हुई हैं वही इसका एकमात्र
खतोनीदार था जो सवत्‌ 2012 मे टिनेन्सी एक्ट के लागू होने पर खातेदारी कास्तकार बन
गया। वादीगण का यह कथन भी गलत हैं कि भीखाराम वादीगण के परिवार का मुखिया व
कर्ता खानदान रहा हो। ना ही वादीगण ने उपरोक्त भूमि का कभी लगान अदा किया।
5. यह कि दावा का खण्ड न. 5 में वर्णित भूम वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त हिन्दु
परिवार की पैतृक भूमि नही हैं। विस्तृत उतर पूर्व मे दिया जा चुका हैं। वादीगण के पूर्व
सुण्डाराम उपरोक्त भूमि कभी भी बैहसियत हिस्सेदार कासतकार नही थी चूंकि भीखाराम के
पास भूमि अधिक थी इसलिए उसने एक – आध बार सुण्डाराम को सहायता हेतु कास्त में
अपना सीरी बनाया था जिसकी वजह से कुछ भूमि मे उसका नाम गिरदावरी मे दिखाया
गया हैं। परनतु वर्तमान में वादीगण को वादग्रस्त भूमि पर कब्जा कास्त नही हैं। ना ही वे
खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वादग्रस्त भूमि मे बने कूप प्रतिवादी संख्या 1
(कायम मुकाम) के हैं। स्कूल के लिए भूमि भी भीखाराम ने ही दान दी हैं।
6. यह कि दावा का खण्ड न. 6 गलत हैं स्वीकार नही हैं वादीगण एवं प्रतिवादी स. 2
वादग्रस्त भूमि मे किसी हिस्से को कास्त नही करते हैं। उनके द्वारा कास्त की बात मिथ्या
व निराधार हैं जहां तक वादीगण के पुख्ता मकान का प्रश्न हैं सुण्डाराम जब अमरपुरा बस
गया तो उसकी औरत खत्म हो गई उसके परिवार मे कोई नजदीकी बच्चो को खाना देने
वाला नही था तो भीखाराम ने अपने एक खेत मे जगह देकर सुण्डाराम को बसाया था वह
बदले मे भीखाराम की कास्त मे मदद करता था। एवं अपनी अमरपुरा की जमीन को भी
कास्त करता था। ग्राम मोई सद्दा की जमीन पर वादीगण का कोई कब्जा कास्त नही हैं।
7. यह कि दावा का खण्ड न. 7 गलत हैं।
8. यह कि दावा का खण्ड न. 8 मे गत खसरा नम्बर से हाल खसरा नम्बर बनना स्वीकार हैं।
9. यह कि दावा का खण्ड न. 9 गलत हैं स्वीकार नही हैं वादीगण व प्रतिवादी स. 2 का वाद
वर्णित भूमि मे कोई हिस्सा नही हैं। ... नही हैं वादीगण का उपरोक्त भूमि मे ना
10. यह कि दावा का खण्ड न. 10 गलत हैं ... वादीगण के पूर्व ने अमरपुरा की
तो हिस्सा हैं ना ही कब्जा कास्त हैं। ... स्वीकार ... पूर्वज सुण्डा व प्रतिवादीगण का पूर्वज
11. यह कि दावा का खण्ड न. 11 गलत हैं ... वादीगण ... थे व भीखा कर्ता खानदान था तो
जमीन ली थी जो उसके नाम हैं ... परिवार के स...
भीखाराम एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:25:16 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

अमरपुरा की जमीन भी भीखाराम के नाम होती जबकि अमरपुरा की जमीन अकेले सुण्डाराम के नाम दर्ज हैं।

यह कि दावे का खण्ड न. 12 गलत हैं स्वीकार नही है प्रतिवादीगण नौरंग के वारीसान को अपनी भूमि को बेचने का पूरा अधिकार हैं। वादीगण को कोई हानी व क्षति नही हैं।

यह कि दावा का खण्ड न. 13 गलत हैं स्वीकार नही हैं।

यह कि दावा का खण्ड न. 14 गलत हैं स्वीकार नही हैं।

यह कि दावा का खण्ड न. 15 गलत हैं स्वीकार नही हैं।

यह कि दावा का खण्ड न. 16 गलत हैं स्वीकार नही हैं।

यह कि शपथ पत्र झुठा पेश किया हैं।

दिनांक 20.09.2017 को मुताबिक आदेशिका तनकीयात कायम की गई।

1. आया वाद वर्णित भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की संयुक्त परिवार की भूमि है और वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 का 1/2 हिस्सा है एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है?

..........................भार वादीगण

2. आया वाद वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 एवं उसके पूर्वजो की स्वयं अर्जित है वादीगण का वादीगण का इससे कोई हक व हिस्सा नही है?

..............प्रतिवादी संख्या 1

प्रकरण में तनकीयात व साक्ष्य दस्तावेजात ïï निस्तारण किया गया है।

साक्ष्य वादी में गवाह पी.डब्लू 1 मोहर सिंह , पी.डब्लू 2 सत्यवीर , के बयान करवाये गये तथा साक्ष्य प्रतिवादी में गवाह डी.डब्लू 1 कर्णसिंह , एवं डी.डब्लू 2 भगवान सिंह के ब्यान करवाये गये। तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वादी की ओर से नक्शा प्रदर्श 1 प्रदर्श 2 बिजली का बिल प्रदर्श 3 व 4 लगान की रसीद प्रदर्श 5 व 6 नक्शा प्रदर्श 7 जमाबन्दी प्रदर्श 8 लगायत 11 मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 12 लगायत 21 जमाबन्दी प्रदर्श 22 एवं 23 खसरा गिरदावारी सवत् 1998 की गिरदावारी प्रदर्श 24 प्रदर्श 25 खसरा गिरदावरी प्रदर्श 26 मिसल बन्दोबस्त प्रदर्श 27 लगायत 29 खसरा गिरदावरी प्रदर्श 30 लगायत 36 जमाबन्दीया एवं प्रदर्श 37 जमाबन्दी सवत् 2012से 2015 एवं जमाबन्दी प्रदर्श 38 प्रस्तुत की गई प्रतिवादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रदर्श डी.1 लगायत डी 24 प्रस्तुत की गई दोनो पक्षो की ओर से लिखित बहस पेश की गई। बहस अधिवक्तागण सुनी गई। वादीगण की ओर से निवेदन किया गया कि वाद वर्णित भूमि नेणाराम एवं उसके पुत्र झाबर एवं सुखदेवा से भीखाराम एवं सुण्डाराम को प्राप्त हुई थी। वादीगण सुण्डाराम के वारीस हैं। प्रतिवादी स.1 भीखाराम का वारीस है। इसलिए इस भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा [illegible] प्रतिवादी स.1 जिसकी मृत्यु के बाद 1/1 लगायत 1/10 उसके वारीस [illegible] हिस्सा है। भीखाराम कर्ताखानदान था। सुण्डाराम एवं भीखाराम [illegible] थे। [illegible] कर्ताखानदान होने से सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी भीखाराम के नाम दर्ज [illegible] गिरदावारी संवत् 1998 प्रदर्श 24 मे भीखला वल्द झाबर हिस्सा 1/2 एवं सुण्डा[illegible] सुखदेवा हिस्सा 1/2 दर्ज रिकॉर्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:25:16 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं
[illegible] (राज.)

इस प्रकार यह भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की खातेदारी की भूमि थी। केवल नाम नैणाराम का दर्ज रहने से अब उनके मन मे बेईमानी आ गई। गांव मोई की जमाबन्दी प्रदर्श36 में भीखा पुत्र झाबर एवं सुण्डा पुत्र सुखदेवा संयुक्त खातेदार दर्ज हैं प्रदर्श 38 व 38 मे भी उनकी खातेदारी संयुक्त दर्ज हैं। प्रदर्श डी. 19 जो प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। उसमें भी भीखा पुत्र झाबर हिस्सा 1/2 एव सुण्डा पुत्र सुखदेवा हिस्सा 1/2 दर्ज रिकॉर्ड हैं। वादीगण का मौके पर 1/2 हिस्से की भूमि पर कब्जा हैं। एवं इसी मे उन्होने मकान बना रखे हैं। बिजली एवं टेलिफोन का कनेक्शन ले रखा हैं। स्वयं प्रतिवादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादीगण का कब्जा एवं मकान होना स्वीकार किया हैं। तथा यह भूमि प्रतिवादीगण को कैसे प्राप्त हुई इसका कोई स्पष्टीकरण उनके पास नही हैं। बल्कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण नैणराम के वारीस हैं यदि प्रतिवादी स.1 या उसके किसी हकपूर्वाधिकारी ने यह भूमि स्वयं अर्जित की है इस बाबत उन्होने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया हैं। इसलिए एक ही पूर्वज के वारीस होने से इस भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण स. 2 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी स. 1 का 1/2 हिस्सा हैं इसी अनुसार वे अपने अधिकार घोषित करवाने के अधिकारी हैं।

प्रतिवादीगण की ओर से निवेदन किया गया कि यह भूमि पैत्रिक सम्पति की श्रेणी मे नही आती हैं नेणराम को यह भूमि लगान पर किस शर्त के अधीन दी गई थी। यह वादीगण साबित नही कर पाये। बल्कि ग्राम मोई सद्दा 30 से अधिक परिवार ग्राम अमरपुरा में जाकर आबाद हुए थे। जिनमे वादीगण का पिता भी शामिल था एवं उनको अमरपुरा में भूमि मिल गई थी इसलिए वे मोई मे नही रहे तो उन्हे इस विवादित भूमि मे कोई हक व अधिकार नही हैं। इसलिए वाद वर्णित भूमि मे इनके कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होते हैं। मैने दोनो पक्षो के तरको पर विचार किया तथा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य सहसम्मान अध्यन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य जिसमें खसरा गिरदावरी सवंत् 1998 प्रदर्श 24 एवं प्रदर्श डी 19 का अवलोकन किया गया जिसके मुताबिक वाद वर्णित भूमि गत खसरा न. 110, 111, पर भीखा पुत्र झाबर एवं सुण्डा पुत्र सुखदेवा का कब्जा कास्त होना दर्शाया गया हैं। इससे स्पष्ट हैं कि यह भूमि उनकी संयुक्त परिवार की भूमि थी। एवं भीखा एवं सुखदेवा संयुक्त रूप से काबिज थें वादीगण सुण्डा पुत्र सुखदेवा के वारीस हैं तथा प्रतिवादी स.1 भीखा का वारीस है। इसलिए इस भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा प्रमाणित होता हैं। प्रतिवादीगण की मौखिक साक्ष्य से भी वादीगण का इस भूमि मे कब्जा हैं। एवं उस कब्जे के बाबत प्रतिवादीगण ने कभी कोई आक्षेप नही किया हैं। साथ ही जब वादीगण के मकान इस भूमि में है। तो उनके पूर्वज का ग्राम अमरपुरा मे आबाद होने का तथ्य स्वतः ही झूठ साबित हो जाता हैं। इस प्रकार दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से वादीगण यह साबित करने मे सफल रहे हैं कि उनका [illegible] वर्णित भूमि [illegible] हैं।

प्रतिवादी स. 1/1 लगायत 1/10 [illegible] किया गया है कि यह भूमि उनकी स्वयं द्वारा अर्जित हैं एवं [illegible] इस सम्बध मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही की गई कि यह भूमि [illegible] अधिकार के तहत प्राप्त हुई एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:25:16 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उन्होंने इसको किस प्रकार स्वयं अजिृत किया हैं। यहां यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि दोनो ही पक्ष नैणाराम के उतराधिकारी हैं। एवं जब दोनो ही पक्षो का पूर्वज एक हैं। तो यह तथ्य और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता हैं कि यह भूमि नैणाराम के किसी वारीस को किस आधार पर प्राप्त हैं। इस प्रकरण में प्रतिवादी स. 1/1 लगायत 1/10 यह साबित करने मे विफल रहे हैं कि यह भूमि उनको किस से एवं किस अधिकार एवं कानून के आधार पर प्राप्त हुई हैं। इसलिए प्रतिवादीगण यह साबित करने मे विफल रहे हैं यह भूमि उनको किस आधार पर प्राप्त हुई। इस प्रकार प्रतिवादीगण यह साबित करने मे यह भूमि उनके अकेले की हैं।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से वाद वर्णित भूमि में वादी स.1 एवं प्रतिवादी स. 2 का 1/6 हिस्सा वादी स. 2/1 लगायत 2/6 का 1/6 हिस्सा वादी स. 3/1 लगायत 3/5 का 1/6 हिस्सा घोषित किये जाने योग्य है। तथा प्रतिवादी स.1/1 लगायत 1/10 का 1/2 हिस्सा घोषित किये जाने योग्य हैं। एवं दावा वादीगण डिक्री योग्य पाया जाता हैं।

– :: आदेश ::–

वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम मोई सद्दा पुरानी स्थित भूमि खसरा 142, 172, 173, 174, 175, 278, किता 6 रकबा 10.84 हैक्टर में वादी स. 1 एवं प्रतिवादी स. 2 को 1/6 हिस्सा वादी स. 2/1 लगायत 2/6 को 1/6 हिस्सा तथा वादी स. 3/1 लगायत लगायत 3/5 को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता हैं। तथा प्रतिवादी स. 1/1 लगायत 1/10 का 1/2 हिस्सा दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

यह निर्णय आज दिनांक 10/10/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर खुल्ले न्यायालय मे सुनाया गया हैं।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:25:16 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

जीसीएमएस नम्बर 2013/00137

राजस्व वाद स. 117/2013

मोहरसिंह आदि बनाम नौरंग आदि

दावा – घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ति, स्थाई निषेधाज्ञा।

वादीगण की ओर से श्री **राजेश यादव एडवोकेट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादी स. 1/1 लगायत 1/10 की ओर से **श्री राधेश्याम भारद्वाज एडवोकेट** उपस्थित, शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10/10/22 को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता हैं और अंतिम डिकी दी जाती हैं कि –

" वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम मोई सद्दा पुरानी स्थित भूमि खसरा 142, 172, 173, 174, 175, 278, किता 6 रकबा 10.84 हैक्टर में वादी स. 1 एवं प्रतिवादी स. 2 को 1/6 हिस्सा वादी स. 2/1 लगायत 2/6 को 1/6 हिस्सा तथा वादी स. 3/1 लगायत लगायत 3/5 को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता हैं। तथा प्रतिवादी स. 1/1 लगायत 1/10 का 1/2 हिस्सा दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 10/10/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्रांकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

सुनील कुमार चौहान
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:25:16 IST
Reason: SelfAttested